

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 160 / 212/आउशि/बजट/18
प्रति,

भोपाल, दिनांक 7/8/2018

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार), मध्यप्रदेश

विषय- फर्नीचर/कार्यालय उपकरण मद अन्तर्गत बजट आवंटन 2018-19

उपरोक्त विषय में निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण हेतु उनकी मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के आधार पर आनुपातिक रूप से उनके समक्ष अंकित अनुसार बजट आवंटन जारी किया जाता है :-

क्र	महाविद्यालय का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	बजट शीर्ष 44-2202-03-103-0101-0798-	आवंटित राशि
1	शा.महावि. वीरसिंहपुरपाली जिला उमरिया	1316/14.7.18 एवं 1339 दि. 24.7.18	0798-22-003 फर्नीचर 0798-22-013 कार्यालय उपकरण	134060 150000
2	शा.कमला नेहरू महिला महाविद्यालय दमोह	501/26.07.18	0798-22-013-कार्यालय उपकरण	150000
	योग			434060

(2) उक्त राशि का आहरण/उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 अन्तर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-

44-2202-03-103-0101-0798-22-003-फर्नीचर
44-2202-03-103-0101-0798-22-013-कार्यालय उपकरण

(3) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(4) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(5) कय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

(6) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(7) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(8) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ०क०- 1602 / 212 / आउशि / बजट / 18
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक- 7/8/2018

1. विशेष सहायक मा.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल
6. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

A